

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठारसीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 819 सन 2021

अनवान :-

1. आदराम पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रामकुमार पुत्र हीरा उर्फ हीराराम जाति जाट साकिन मलवानी तहसील नोहर।
2. कृष्ण कुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट साकिन मलवानी तहसील नोहर।
3. राजबाला पुत्री रामकुमार जाति जाट साकिन मलवानी तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 25.11.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही भोजा चक 3 वारानी के खाता संख्या 472/389 की कुल 6.8290 हैक् में से 1/3 हिस्सा, भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा हीराराम वल्द तिलोकाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा हीराराम वल्द तिलोकाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा हीराराम वल्द तिलोकाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता हीराराम वल्द तिलोकाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की राहमति/जानकारी के आधार पर

उपखण्ड अधिकारी का निस्तारण फरमावे।

नोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उमयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी

संख्या 1 ता 3 में स्वीकार किया जाकर ईकवाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आर.आर.डी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काररतकार आपसी सहमति /राशीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायाधिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्ली फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अदालतकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक्र 3 बरानी के खाता संख्या 472/389 की कुल 6.8290हैक में से 1/3 हिस्सा, भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

जगादन्दी सम्वत 2029 से 2038 भुण्डबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि हीराराम वन्द तिलोकाराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा हीराराम वन्द तिलोकाराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा हीराराम वन्द तिलोकाराम के देहागत होने के बाद विलक्षण से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विलक्षण से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होगा साबित है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पत्ति में लीने/लीनेयों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ने स्वीकार किया जाकर इकवाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य समुत्त एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण कथित डिक्ली है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राजस्वहकों की सुख्या के मजमेअनर स्टाम्प इगुटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पैतृककार चक्र का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य समुत्त एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्ली किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक्र 3 बरानी के खाता संख्या 472/389 की कुल 6.8290हैक के पान्थ 322/357(224) किल्ला न्थ 13, 14/0.508 15/1 की 0.038हैक, 15/2 की 0.215है, 16/1 की 0.034हैक पैतृककार, 116/2 की 0.215हैक 17 ता 19/0.759हैक 22 ता 24/0.759हैक 25/1 की 0.038हैक 25/2 की 0.215हैक कुल 2.689 हैक पैतृक 114 हैक चरगा कुल 2.783 है भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है याथागत रहेगी क्षेत्र भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 दोनों बहिब के खातेदार काररतकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र की मराम 5000/- रु का स्टाम्प तकसीलन साबित किया जावे। यदि भूमि बैंक के चक्र हो तो वाद सहस्रमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे अतः वाद उभयपक्ष अपना अपना चक्र करने।

इसी अर्थ की पक्षा डिक्ली जारी की जाकर साबित निशान की गई पत्रावली नम्बर से काम की जाकर वाद तत्सीब तकसील जाया दरिदर दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2021 को प्रकाशन नार्ड के सग अधिवान वर्ष - 2021 में द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

जगादन्दी अधिकारी (राजस्व)
नीकर (समुदायसद)
प्रकाशन नार्ड के सग अधिवान वर्ष - 2021
रीम कोर्ट - अजमेर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाबदा दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. आदराम पुत्र रामकुमार जाति जाट निवारी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रामकुमार पुत्र हीरा उर्फ हीराराम जाति जाट साकिन मलवानी तहसील नोहर।
2. कृष्ण कुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट साकिन मलवानी तहसील नोहर।
3. राजबाला पुत्री रामकुमार जाति जाट साकिन मलवानी तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 923 सन 2021 निर्णय दिनांक- 25.11.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव क संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 बरानी के खाता संख्या 472/389 की कुल 6.8290 हैक् के प0न0 322/357(224) किला न0 13 ,14/0.506 15/1 की 0.038 गै0 रास्ता ,15/2 की 0.215 है ,16/1 की 0.034 हैक् गै0 रास्ता , 116/2 की 0.215 हैक् 17 ता 19/0.759 हैक् 22 ता 24/0.759 हैक् 25/1 की 0.038 हैक् 25/2 की 0.215 हैक् कुल 2.669 हैक् गै0 मु00.114 हैक् रास्ता कुल 0.783 है भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है याथावत रहेगी शेष भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या ,2 दोनों बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.11.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021

कैम्प कोर्ट...मलवाणी